

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

—: परिपत्र :—

क्रमांक: प. 30(8)मं.मं./2015

जयपुर, दिनांक: 12/12/2019

मा0 मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या-176/2019 बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमियों/आयोगों के अध्यक्ष रहे व्यक्तियों (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था) को सर्किट हाउसेज, डाक बंगलों एवं राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु परिचय-पत्र बनाया जाना है।

पूर्व मंत्रिगण एवं बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमियों/आयोगों के पूर्व अध्यक्षगण जिन्हें मंत्रिस्तरीय दर्जा प्राप्त है, के परिचय-पत्र बनाये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में अपना आवेदन पत्र (तीन मूल प्रतियों) मय संलग्नक संबंधित प्रशासनिक विभाग (जिसके अधीन बोर्ड/कॉर्पोरेशन/अकादमी/आयोग में वे रहे) से सत्यापित करवाया जाकर, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करवायेंगे। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण सत्यापित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा परिचय-पत्र बनाये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव महोदय।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग शिक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

पूर्व मंत्रिगण/संसदीय सचिवगण तथा मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों के उपयोग हेतु

Front

अहस्तांतरणीय

Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

Cabinet Secretariat, Jaipur

मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर



Identity Card :

परिचय पत्र

Valid Upto : आजीवन

PHOTO	Name / नाम :
	F/H Name :
	पिता/पति का नाम
	DOB / जन्म तिथि :
	Post / पद :
	अवधि (Tenure) :
	विभाग (Department) :

Sr. Deputy Secretary, Cabinet

वरि. शासन उप सचिव (मंत्रिमण्डल)

Back

Address & Tel. No :

पता एवं दूरभाष/मोबाईल

Blood Group / ब्लड ग्रुप :

Emergency Tel. No. :

आपातकालीन दूरभाष

सुरक्षा अधिकारी के मांगने पर ये परिचय पत्र तुरंत दिखायें ।

परिचय पत्र के खो जाने पर तुरंत नियंत्रक अधिकारी, मंत्रिमण्डल सचिवालय तथा पुलिस को सूचना दें।

राज्य सरकार द्वारा इनको समय-समय पर प्रदत्त सुविधायें देय होंगी।

तीन मूल प्रतियों में

बजट घोषणा संख्या-176/2019 की पालना में मा0 पूर्व मंत्रिगण/संसदीय सचिवगण तथा मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त महानुभावों के परिचय-पत्र हेतु आवेदन-प्रपत्र

1	पूर्व मंत्री / संसदीय सचिव / मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त महानुभाव का नाम	:
2	पिता / पति का नाम	:
3	पदनाम मय विभाग (विस्तृत विवरण)	:
4	जन्म दिनांक	:
5	निवास का पता	:
6	दूरभाष नं. तथा मोबाईल नं.	:
7	आपातकालीन दूरभाष नं. / लैंडलाईन	:
8	ब्लड ग्रुप	:
9	शपथ / दर्जा ग्रहण करने की दिनांक / अवधि	:
10	विधानसभा क्षेत्र (यदि कोई हो)	:

संलग्न : दो फोटो

हस्ताक्षर मय नाम व पदनाम

सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मय पदनाम मोहर सहित